कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2383 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 29 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल के विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियारगढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.52 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/32834/2018

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/148/2019/एफ0सी0/2299 दिनांक 17–02–2021।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के माध्यम से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:–

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–01)**
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–02)**
3.	**प्रतिपूरक वनीकरण :–** **क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.18 हे0 गैर सिविल सोयम भूमि ग्राम सौड मध्य नगेड़, खसरा संख्या खसरा सं0 1406,1484,1301,1306,1326,36,39,77,150,216,219 एवं 223 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। **ख)** गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए, 1980 की guideline के para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है	**(क)** प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.18 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम सौड मध्य नगेड़, में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 16,99,407.00 (सोलह लाख निनावें हजार चार सौ सात रूपये मात्र) कैम्पा कोष में जमा कर दिये गये है। **(संलग्न–03)** **(ख)** शर्त के अनुपालन में जिलाधिकारी टिहरी गढवाल द्वारा अपने आदेश सं0 71/XXVI-01(2013-2014) दिनांक 08.01.2024 से ग्राम ग्राम सौड मध्य नगेड़ की 5.18 है0 सिविल सोयम भूमि खाता सं0–37 खसरा नं0 5,7, 1406,1484,1301,1306,1326,36,39,77,150.216, 219 एवं 223 को वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/इन्द्राजी कर दिया है।

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्ण आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। **ग)** वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। **घ)** रोपण के समय कम से कम पचास प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	अपर सचिव, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 1929/X-3-24/1(86)/2019 दिनांक 06.12.2024 द्वारा संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना निर्गत की गयी है। **(संलग्न–4)** **(ग)** शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5)** **(ग)** शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–6)**
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–7)**
5.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य :–** **(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.99 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **(ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**(क)** शर्त संख्या के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 21,29,400.00 (ईक्कीस लाख उन्नतीस हजार चार सौ रूपये मात्र) कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। **(चालान की प्रति संलग्न)** **(ख)** एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोत्तरी होगी तो बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–8)**
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 605 trees and 116 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–9)**
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	शर्त संख्या–7 में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) द्वारा जमा कर दी गयी है।

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
8.	गाईडलाईन में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा काई और गतिविधि नही की जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–10)**
9.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	इस शर्त के अनुपालन हेतु एफ0आर0ए0 2006 का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–11)**
10.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	इस शर्त के अनुपालन में आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायी जायेगी। **(संलग्न–12)**
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	इस शर्त के अनुपालन में निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–13)**
12.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–14)**
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–15)**
14.	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–16)**
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–17)**
16.	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–18)**
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–19)**
18.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–19)**
19.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–20)**
20.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–21)**

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
21.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–22)**
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–23)**
23.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–24)**
24.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh. nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जा रही है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम–1980 यथासंशोधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 2383 / **12-1** दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड, शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा टिहरी गढवाल।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संलग्न–1 ①

वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–01 में निहित शर्त के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

संलग्न-2 ②

गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–02 में निहित शर्त के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि लोक निर्माण विभाग को सौंपी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

संलग्न-3

PARIVESH
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾ 12:13:52 PM

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/21726/2016 Construction of Thangdhar Thauldhar Motor Road	ROAD217262016258	6121726258	04 Apr 2022	CA: 2441832/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 3868854/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6310686/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 16 Jun 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 03 Aug 2022 Transaction Date : 05 Aug 2022	Demand Letter Generated Challan
2	FP/UK/ROAD/32834/2018 Construction of Chamba Mussoorie Motor Road in Place Kanatal to Andhiyargadhi Sangaon Motor Road	ROAD328342018182	6132834182	17 Feb 2021	CA: 1699407/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, RPV: 2129400/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3828807/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Jul 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 28 Jul 2021 Transaction Date : 29 Jul 2021	Demand Letter Generated Challan

संलग्न-4

I/1755/2024

::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्र संख्याः–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 148 / 2019 / एफ0सी0 / 2299 दिनांकः 17.02.2021 की शर्त संख्या:03(क) के अनुपालन में विकासखण्ड चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.52 हे0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यो के दृष्टिगत प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.18 हे0सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक 904 / आर. ए–भूमि हस्ता0(2023–24) दिनांकः 23.12.2023 के द्वारा तहसील टिहरी के ग्राम नगेड़ दाव्या पट्टी बमुण्ड की भूमि प्रस्तावित की गयी है,जिसका विवरण निम्नवत है:–

ग्राम	पट्टी	खाता सं0	खसरा सं0	याचित रक्बा (हे0में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
नगेड़ दाव्या	बमुण्ड	08	36	0.519हे0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड. बंजर भूमि
			39	0.665हे0	
			77	0.514हे0	
			150	0.710हे0	
			216	0.296हे0	
			219	0.097हे0	
			223	0.321हे0	
			1301	0.201हे0	
			1306	0.329हे0	
			1326	0.346हे0	
			1406	0.846हे0	
			1484	0.336हे0	
कुल 12 खसरा				5.18हे0	

प्रस्तावित काणाताल से अधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या:2882 / XXIII(II) / 11–18(120) / 2010 दिनांकः 11नवम्बर 2011 पर शासनादेश संख्याः 2365 / XXIII(II) / 13–18 (120) / 2010

Scanned with CamScanner

टी0सी0 दिनांकः 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय / मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या:2173 / XXIII(II) / 2012–18(120) / 2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांकः17 दिसम्बर 2012 के कम मे उप जिलाधिकारी टिहरी के द्वारा प्रस्तावित की गयी उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्बा–5.18 हे0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड शासन के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है, तहसीलदार टिहरी तत्काल उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित / इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

Signed by Mayur Dixit
Date: 08-01-2024 15:49:17

(मयूर दीक्षित)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढवाल। जनवरी

संख्याः 71 / XXVI–01 (2013–2014) दिनांक नई टिहरी ~~दिसम्बर~~ 08, 2024

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1:–सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2:–सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3:–आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद देहरादून।
4:–आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5:–नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
6:–प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग टिहरी।
7:–अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, चम्बा।
8:–उप जिलाधिकारी टिहरी।
9:–तहसीलदार टिहरी।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना रेंज, चम्बा

पत्रांक– 21 / 12 दिनाँक– 25 जुलाई 2024

E-mail: saklanarange111@gmail.com

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती, टि0ग0

द्वारा:– उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
मुनिकीरेती, टि0ग0

विषय– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा (घो0सं0–672/2021) के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढी सनगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.520 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक– रिक्त दिनांक– 16–05–2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन करना है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के सापेक्ष वन विभाग को हस्तांतरित होने वाली सिविल भूमि को वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग, याचक विभाग व सम्बन्धित ग्राम वासियों के समक्ष कब्जे में ले लिया गया है, प्राप्त सिविल भूमि 12 विभिन्न खसरा न0 से प्राप्त हुयी है, जिसका मैप संलग्न है। उक्त भूमि विभिन्न टुकडों व आवासीय क्षेत्र के समीप होने के कारण अतिकमण का खतरा बना हुआ है। जिस हेतु भूमि का तत्काल सीमांकन व मुनारा बन्दी की जानी अति आवश्यक है।

अतः भूमि को कब्जे में लेने सम्बन्धित रिपोर्ट महोदय की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्नक– 1. संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट
2. नक्शा।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज, चम्बा

O/C

REDMI NOTE 11 | OMPRAKASH 29/07/2024 10:50

Scanned with CamScanner

(30)

सेवामें
श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी महोदय
सकलाना रेंज चम्बा टि०ग०

विषय - मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 672/2021 विधान के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत काणाताल से अधियार गदी-सनगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.520 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोकनिर्माण को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ - आपका पत्रांक 14/12 दिनाँक 14 जुलाई 2024 ।

महोदय

उपरोक्त संदर्भित विषयक पत्र के अनुपालन में आज दिनांक 24-07-2024 को राजस्व उपनिरीक्षक काणाताल, लो० नि० वि० के अधिकारी/कर्मचारियों, प्रधान ग्राम पंचायत सौड़ व स्थानीय ग्रामवासियों के साथ पुनः निरीक्षण किया गया, जिसमें मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष 5.18 हैक्टर सिविल भूमि जो वन विभाग को हस्तानान्तरण हेतु नामित की गई है, जो कि राजस्व ग्राम सौड़ दाख्या महत्ये 12 (बारह) खसरा नम्बरान में है, जो कि खसरा न० 36 - 0.519 है० खसरा न० 39 - 0.66 है० खसरा न० - 47 - 0.514 है० खसरा न० 150 - 0.710 है० खसरा न० - 216 - 0.296 है० खसरा न० 219 - 0.097 है० खसरा न० - 223 - 0.321 है० खसरा न० 1301 - 0.261 है० खसरा न० - 1306 - 0.324 खसरा न० - 1326 - 0.346 है० खसरा न० 1406 - 0.846 है० खसरा न० 1484 - 0.336 है० के अन्तर्गत है। जिसका कुल क्षेत्रफल 5.18 है० है, जिसे यथा स्थिति वन विभाग के कब्जे में ले लिया गया है। उक्त क्षेत्र नापभूमि एवं बस्ती के समीप होने के कारण अतिक्रमण होने की पूर्ण सम्भावना है जिसके लिए शीघ्र सीमांकन/मुनारा बन्दी किया जाना आवश्यक है। संयुक्त निरीक्षण में निम्न अधिकारी/कर्मचारी एवं स्थानीय जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे ।

अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट सेवामें आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
राजस्व उपनिरीक्षक	(अजमपाल)	(ओम प्रकाश)	(कुंवर चन्द रमोला)
काणाताल	अपर सहायक अभियन्ता	वन बीट अधिकारी	अनुभाग अधिकारी
तहसील-टिहरी. (टि०ग०)	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०	सौड़ बीट	सकलाना अनुभाग
	चम्बा।		

① धर्म सिंह नेगी - (हस्ताक्षर) धर्म सिंह
② हरि चन्द रमोला - (हस्ताक्षर)
③ विजय रमोला - (हस्ताक्षर)
④ दिनेश रमोला - (हस्ताक्षर) Dinesh
⑤ कुंवर चन्द रमोला - (हस्ताक्षर) कुंवर चन्द
⑥ राजेन्द्र चन्द रमोला - (हस्ताक्षर) राजेन्द्र चन्द

(मुहर) प्रधान ग्राम पंचायत सौड़ ह0 ... ग्रा0 ... वि0 ख0 चम्बा (टिहरी गढ़वाल)

REDMI NOTE ... OM PRAKASH 23/07/2024 09
Scanned with CamScanner

कार्यालय– वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना रेंज, चम्बा

पत्रांक– 21 / 12 दिनाँक– 25 जुलाई 2024

E-mail: saklanarange111@gmail.com

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती, टि0ग0

द्वाराः– उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
मुनिकीरेती, टि0ग0

विषय– **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा (घो0सं0–672/2021) के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढी सनगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.520 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक– रिक्त दिनांक– 16–05–2024.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन करना है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के सापेक्ष वन विभाग को हस्तांतरित होने वाली सिविल भूमि को वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग, याचक विभाग व सम्बन्धित ग्राम वासियों के समक्ष कब्जे में ले लिया गया है, प्राप्त सिविल भूमि 12 विभिन्न खसरा न0 से प्राप्त हुयी है, जिसका मैप संलग्न है। उक्त भूमि विभिन्न टुकडों व आवासीय क्षेत्र के समीप होने के कारण अतिक्रमण का खतरा बना हुआ है। जिस हेतु भूमि का तत्काल सीमांकन व मुनारा बन्दी की जानी अति आवश्यक है।

अतः भूमि को कब्जे में लेने सम्बन्धित रिपोर्ट महोदय की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्नक– 1. संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट
2. नक्शा।

भवदीय
वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज, चम्बा

-6/7/24

पत्रांक – 85 /12, दिनांक – 27/7/24
मूल में श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय की सेवा में अग्रसारित।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

आवश्यक कार्यवाही
27/7/24

सेवार्में

श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी महोदय
सकलाना रेंज चम्बा टि०ग०

विषय - मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 672/2021 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत काणाताल से आंधियार गदी - सनगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.520 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ - आपका पत्रांक 14/12 दिनाँक 14 जुलाई 2024 ।

महोदय

उपरोक्त संदर्भित विषयक पत्र के अनुपालन में आज दिनाँक 24-07-2024को राजस्व उपनिरीक्षक काणाताल, लो० नि० वि० के अधिकारी/कर्मचारियों, प्रधान ग्राम पंचायत सौड़ व स्थानीय ग्राम वासियो के साथ पुन: निरीक्षण किया गया, जिसमे मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष 5.18 हैक्टर सिविल भूमि जो वन विभाग को हस्तान्तरण हेतु नामित की गई है, जो कि राजस्व ग्राम नगोड दावा मध्ये 12 (बारह) खसरा नम्बरान मे है, जो कि खसरा न० 36 - 0.519 है० खसरा न० 39 - 0.665 है० खसरा न० 77 - 0.514 है० खसरा न० 150 - 0.710 है० खसरा न० 216 - 0.296 है० खसरा न० 219 - 0.097 है० खसरा न० 223 - 0.321 है० खसरा न० 1301 - 0.201 है० खसरा न० 1306 - 0.329 है० खसरा न० 1326 - 0.346 है० खसरा न० 1406 - 0.846 है० खसरा न० 1484 - 0.336 है० के अन्तर्गत है। जिसका कुल क्षेत्रफल 5.18 है० है, जिसे यथा स्थिति वन विभाग के कब्जे मे ले लिया गया है। उक्त क्षेत्र नापभूमि एवं बस्ती के समीप होने के कारण अतिक्रमण होने की पूर्ण सम्भावना है जिसके लिए शीघ्र सीमांकन/मुनारबन्दी किया जाना आवश्यक है, संयुक्त निरीक्षण मे निम्न अधिकारी/कर्मचारी एवं स्थानीय जन प्रतिनिधि उपस्थित रहें ।

अत: संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट सेवामे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
राजस्व उपनिरीक्षक	(अजयपाल)	(ओम प्रकाश)	(कुंवर चन्द रमोला)
काणाताल	अपर सहायक अभियन्ता	वन बीट अधिकारी	अनुभाग अधिकारी
तहसील-टिहरी, (टि०ग०)	निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० चम्बा ।	सौड़ बीट	सकलाना अनुभाग

(1) धर्म सिंह नेगी - (हस्ताक्षर) धर्म सिंह
(2) हरि चन्द रमोला - (हस्ताक्षर)
(3) विनय रमोला - (हस्ताक्षर)
(4) दिनेश रमोला - (हस्ताक्षर) Dinesh
(5) - कुबेर चन्द रमोला - (हस्ताक्षर) कुबेर चन्द
(6) - राजीव चन्द रमोला - राजीव चन्द

(मुहर) प्रधान ग्राम पंचायत सौड़
ह० (हस्ताक्षर)
वि० ख०-चम्बा (टिहरी गढ़वाल)

जिला टिहरी गढ़वाल

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11 नकल ज०वि०र० खाता खतौनी ग्राम नगेड दाण्डा पट्टी क्मुण्ड तहसील टिहरी जिला टिहरी-गढ़वाल

1	2	3	4	5	6	7	8	1 2 3 4 5 6 7 (8)
08	उत्तराखण्ड सरकार की	1377	7	0.008				भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र)
	9(3) ऽ० कृषि योग्य	फसली	\	\				25 सुभाषरोड देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/06/148/2019 एफ०सी०/
	बंजर भूमि *	के	36	0.519				2299 दिनांक 17-2-2021 की शर्त सं० 03(क) के अनुपालन में विकासखण्ड-चम्बा
		पूर्व	39	0.665				मे मधुटी मोटर मार्ग के कानाताल से अधियारगाड़ी सनगाँव तक मोटर मार्ग निर्माण
		से	43	0.016				हेतु 2.52 है० वन भूमि पर गैर वानकी के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु
			77	0.514				5.18 है० सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु
			\	\				उपजिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक 904/आर०ए० भूमि हस्तान्तरण (2023-24) दिनांक
			150	0.710				23-12-2023 के द्वारा तहसील टिहरी के ग्राम नगेड दाण्डा पट्टी क्मुण्ड के खसरा
			\	\				नम्बर 36/0.519, 39/0.665, 77/0.514, 150/0.710, 216/0.296, 219/0.136, 223/0.321,
			216	0.296				1301/0.346, 1306/0.201, 1326/0.329, 1406/0.297, 1484/0.846 कुल रकबा 5.18 है०
			219	0.136				भूमि वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया।
			223	0.321				
			\	\				
			1301	0.346				
			1306	0.201				
			1326	0.329				
			\	\				
			1406	0.336				
			1484	0.846				
			\	\				
			4258	0.060				
		योग	101	13.203 है०				

असल से तैयार किया

30/05/2024

PS Rana

(31)

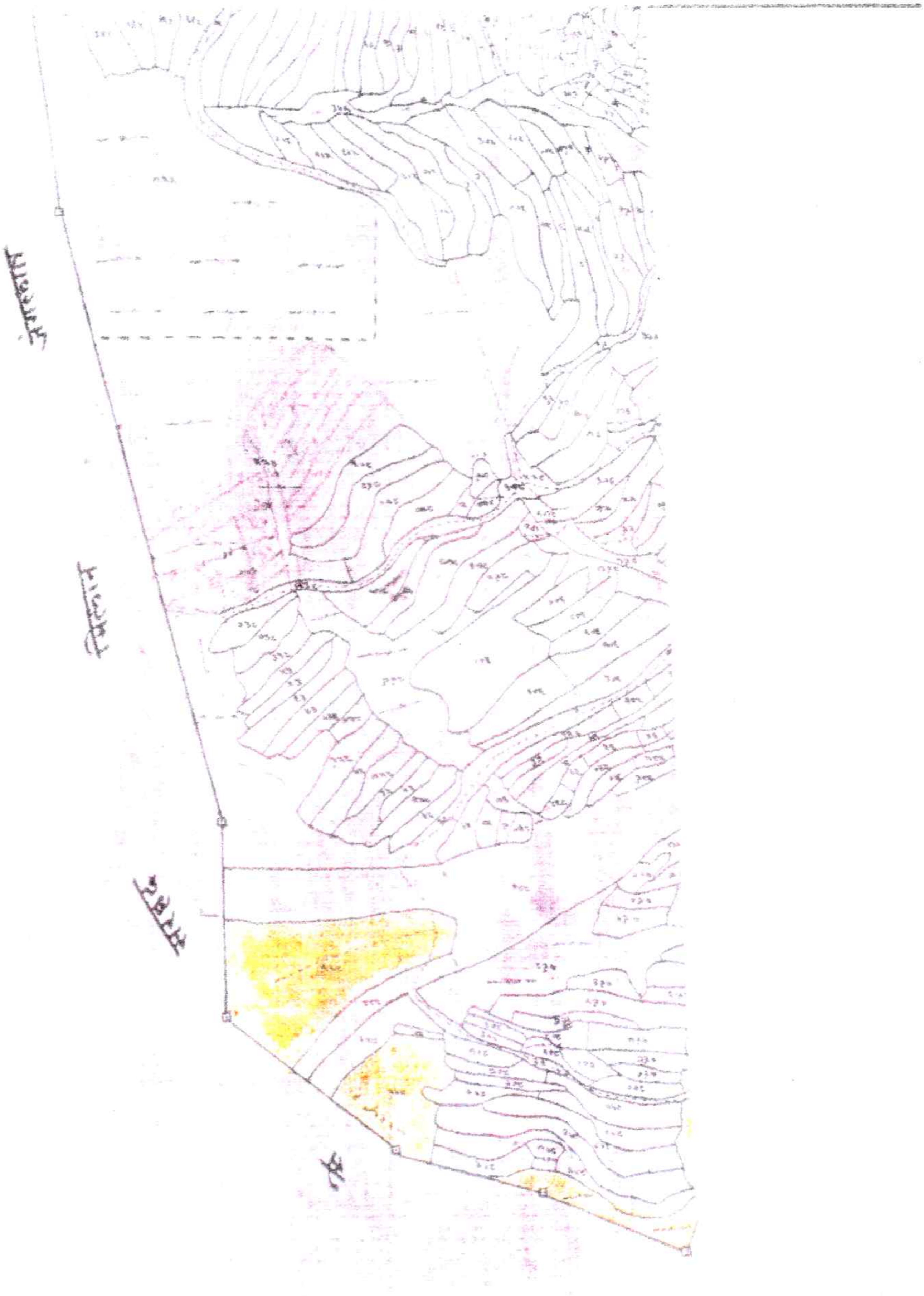

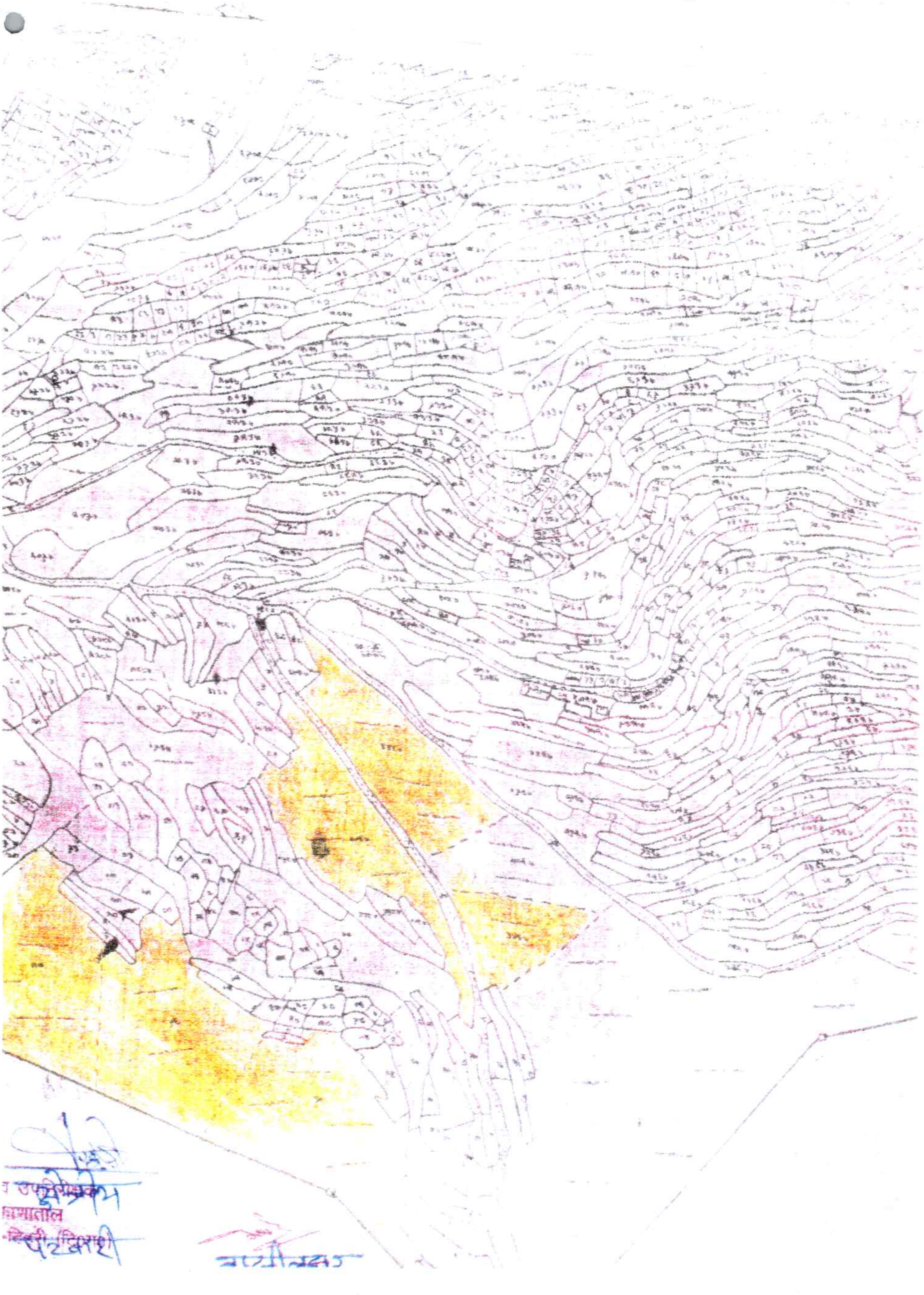

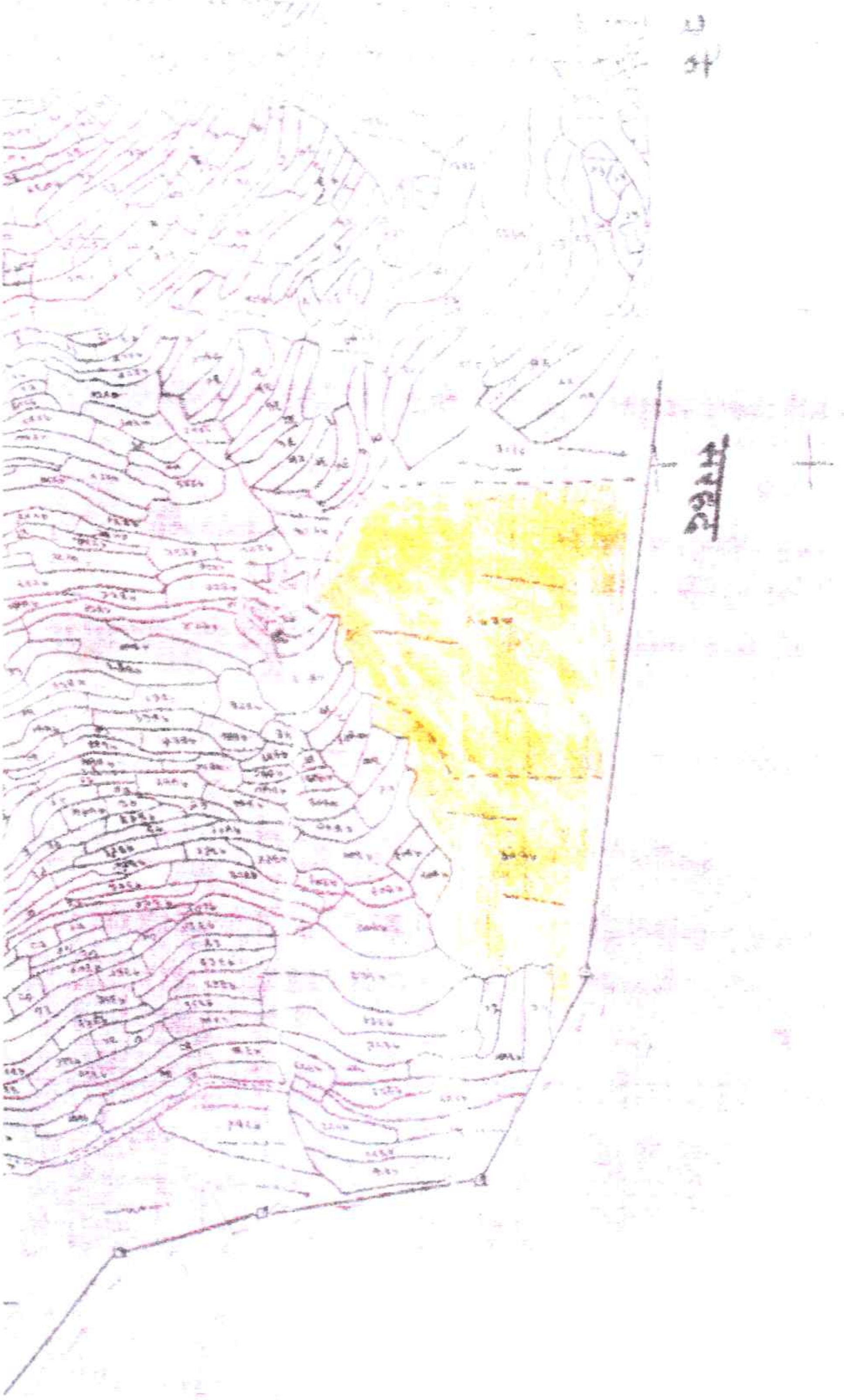

संलग्नक-4 I/259212/2024

ई0 पत्रावली संख्या–79681

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–3
संख्या– 1929 /X-3-24/1(86)/2019
देहरादूनः दिनांकः 06 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड चम्बा के अंतर्गत चम्बा मसूरी सड़क मार्ग के काणताल से अंधियारगढ़ी सनगांव तक सड़क मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित 02.52 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ङ (अन्य कारणों से बंजर भूमि) की 05.18 है0 क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

क्र0 सं0	जिला	तहसील	पट्टी	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (है0)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	टिहरी गढ़वाल	टिहरी	बमुण्ड	नगेड़ दाब्या	08	36	0.519	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ
						39	0.665	
						77	0.514	
						150	0.710	
						216	0.296	
						219	0.097	
						223	0.321	
						1301	0.201	
						1306	0.329	
						1326	0.346	
						1406	0.846	
						1484	0.336	
						योग–	05.18	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

प्रभारी टिहरी
आ. व्य. केन्द्र

प्र. व. सं./नो.
10-12-24

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
प्राप्ति सं. 2278
पत्रावली 12-7
दिनांक 12-12-24

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी0पी0एस0 लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of Plantation Site		
ID	Longitude	Latitude
1	78°19' 13.865" E	30°24' 54.837" N
2	78°19' 16.962" E	30°24' 51.449" N
3	78°19' 21.001" E	30°24' 52.790" N
4	78°19' 18.374" E	30°24' 48.992" N
5	78°19' 10.791" E	30°24' 53.232" N
6	78°19' 11.427" E	30°24' 0.585" N
7	78°19' 9.839" E	30°24' 57.178" N
8	78°19' 10.238" E	30°24' 51.728" N
9	78°19' 14.688" E	30°24' 47.927" N
10	78°19' 20.294" E	30°24' 46.320" N
11	78°19' 26.0744" E	30°24' 47.357" N
12	78°19' 31.890" E	30°24' 47.408" N
13	78°19' 36.893" E	30°24' 45.466" N
14	78°19' 30.812" E	30°24' 45.883" N
15	78°19' 26.097" E	30°24' 43.058" N
16	78°19' 22.539" E	30°24' 39.361" N
17	78°19' 27.523" E	30°24' 43.330" N
18	78°19' 32.948" E	30°24' 43.790" N
19	78°19' 41.594" E	30°24' 43.048" N
20	78°19' 38.086" E	30°24' 41.165" N
21	78°19' 33.571" E	30°24' 41.243" N
22	78°19' 27.082" E	30°24' 38.820" N
23	78°19' 30.789" E	30°24' 40.314" N
24	78°19' 36.432" E	30°24' 38.982" N
25	78°19' 40.374" E	30°24' 34.698" N
26	78°19' 42.607" E	30°24' 29.375" N
27	78°19' 44.796" E	30°24' 24.023" N

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव।

Signed by
Kahkashan Naseem
Date: 06-12-2024 13:54:52

संख्याः– 1929 (1)/X-3-24/1(86)/2019 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
7. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
8. जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढ़वाल।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

10. उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।
11. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब),भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Dhirendra Kumar Singh
Date: 06-12-2024 14:52:41

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification.1929./X-3-24 Dehradun, dated.06.December, 24 for general information.

Government of Uttarakhand
Forest Section- 03
File No. 1929 /X-3-24/01(86)/2019
Dehradun Date- 06 ~~November~~ December, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)anga land (for other agricultural use barren land) total 02.520 hectare as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Tehri Garhwal to the forest department for compensatory plantation against the 05.18 hectare Reserve Forest land transferred for the construction of road from Kanataal to Andhiyargarhi Sangaon on Chamba Mussoorie Motor Road in Vikaskhand Chamba of District Tehri Garhwal, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. No.	District	Tehseel	Patti	Village	Khata Number	Khasara Number	Total area acquired for C.A (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tehri Garwhal	Tehri	Bumand	Naged Dabya	08	36	0.519	9(3)anga Category-
						39	0.665	
						77	0.514	
						150	0.710	
						216	0.296	
						219	0.097	
						223	0.321	
						1301	0.201	
						1306	0.329	
						1326	0.346	
						1406	0.846	
						1484	0.336	
						Total	05.18	

Boundary should be demarcated on the field and boundary pillars shall be constructed.

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

Part- 2 Boundary details

The details of the proposed boundary pillars (including G.P.S. locations) for the demarcation of the plantation area are as following.

	Co-ordinates of Plantation Site	
ID	**Longitude**	**Latitude**
1	78°19' 13.865" E	30°24' 54.837" N
2	78°19' 16.962" E	30°24' 51.449" N
3	78°19' 21.001" E	30°24' 52.790" N
4	78°19' 18.374" E	30°24' 48.992" N
5	78°19' 10.791" E	30°24' 53.232" N
6	78°19' 11.427" E	30°24' 0.585" N
7	78°19' 9.839" E	30°24' 57.178" N
8	78°19' 10.238" E	30°24' 51.728" N
9	78°19' 14.688" E	30°24' 47.927" N
10	78°19' 20.294" E	30°24' 46.320" N
11	78°19' 26.0744" E	30°24' 47.357" N
12	78°19' 31.890" E	30°24' 47.408" N
13	78°19' 36.893" E	30°24' 45.466" N
14	78°19' 30.812" E	30°24' 45.883" N
15	78°19' 26.097" E	30°24' 43.058" N
16	78°19' 22.539" E	30°24' 39.361" N
17	78°19' 27.523" E	30°24' 43.330" N
18	78°19' 32.948" E	30°24' 43.790" N
19	78°19' 41.594" E	30°24' 43.048" N
20	78°19' 38.086" E	30°24' 41.165" N
21	78°19' 33.571" E	30°24' 41.243" N
22	78°19' 27.082" E	30°24' 38.820" N
23	78°19' 30.789" E	30°24' 40.314" N
24	78°19' 36.432" E	30°24' 38.982" N
25	78°19' 40.374" E	30°24' 34.698" N
26	78°19' 42.607" E	30°24' 29.375" N
27	78°19' 44.796" E	30°24' 24.023" N

(Kahkashan Naseem)
Additional Secretary.

Signed by
Kahkashan Naseem
Date: 06-12-2024 13:54:26

Copy:- Sent to the following for information and action.

1. Inspector General, Forest, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jor

Bagh Road, New Delhi.

2. Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.
3. Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife, Uttarakhand, Dehradun.
4. Principal Chief Conservator of Forest, and Nodal Officer, Forest Conservation Uttarakhand, Dehradun.
5. Chief Executive Officer, CAMPA, Uttarakhand.
6. Commissioner, Garhwal, Pauri.
7. Conservator of Forests, Bhagirathi Circle, Uttarakhand, Munikireti.
8. District Magistrate, Tehri Garhwal.
9. Divisional Forest Officer, Narendra Nagar Forest Division, Munikireti.
10. Sub Divisional Magistrate, Narendra Nagar.
11. Director, Government Currency Roorkee to be published in the Legislative Council section- (B) part-4 of the general Gazette.
12. N.I.C. Secretariate Campus.
13. Guard File.

By Order

Signed by
Dhirendra Kumar Singh
Date: 06-12-2024 14:53:06

(Dhirendra Kumar Singh)
Deputy Secretary.

संलग्न–5 ⊛

सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–03 (ग) में निहित शर्त के अनुपालन में सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना राजि चम्बा

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज
चम्बा (टि0 ग0)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि–की–रेती

संलग्न-६ (27)

रोपण के समय वृक्षारोपण क्षेत्र में कम से कम पचास प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–03 (घ) में निहित शर्त के अनुपालन में रोपण के समय वृक्षारोपण क्षेत्र में कम से कम पचास प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना राजि चम्बा

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज
चम्बा (टि0 ग0)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि–की–रेती

संलग्न-7 (8)

प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–04 में निहित शर्त के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा किया प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

चालान (28)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 28-07-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6132834182
State Code.	UK
Address.	Yamuna Colony DehradunDehradun
Amount(in Rs)	3828807/-

Amount in Words :Thirty-Eight Lakh Twenty-Eight Thousand Eight Hundred and Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6132834182
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 28-07-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6132834182
State Code.	UK
Address:	Yamuna Colony Dehradun Dehradun
Amount(in Rs)	3828807/-

Amount in Words :Thirty-Eight Lakh Twenty-Eight Thousand Eight Hundred and Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6132834182
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: ubicampa@unionbankofindia.com

संलग्न-9 ⊗

शुद्ध वर्तमान मूल्य में बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने का प्रमाण—पत्र

परियोजना का नाम :— चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या—05 (ख) में निहित शर्त के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

संलग्न-9 (8)

वन विभाग को पेडों की कटाई की लागत जमा किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–06 में निहित शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि मे पेडों की कटाई को न्यूनतम रखा जायेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–प्रस्ताव के अनुसार 605 वृक्ष एवं 116 Saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे तथा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

संलग्न -10

गाईडलाईन्स मे दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम – चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अधियार गढी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–08 में निहित शर्त के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार पारित किये गये आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

संलग्न-11

एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम – चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढी रानगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–09 में निहित शर्त के अनुपालन में एफआरए, 2006 से सम्बन्धित निर्धारित प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर से प्राप्त कर लिया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढायी जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–10 में निहित शर्त के अनुपालन में आर0ई0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

संलग्न-13 (10)

गति विनियमन साईनेज लगाये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–11 में निहित शर्त के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

संलग्न-14

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–12

लागू नहीं।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

संलग्न - 15

परियोजना का ले आउट प्लान नही बदले जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–13 में निहित शर्त के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नही बदला जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

संलग्न – 16

लेबर कैम्प नही लगाये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–14 में निहित शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

संलग्न-17

निकटवर्ती वनों को क्षति न पंहुचाये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–15 में निहित शर्त के अनुपालन में निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विषेशतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पंहुचे।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

संलग्न-18 (18)

सीमांकन किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–16 में निहित शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में दिये गये निर्देशानुसार परियोजना की लागत पर किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।	टिहरी गढवाल।	टिहरी गढवाल।

संलग्न - 19 (18)

भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–18 में निहित शर्त के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

संलग्न - 20

भूमि अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–19 में निहित शर्त के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

संलग्न-21

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन न किये जाने का
प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनंगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–20 में निहित शर्त के अनुपालन में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नही किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा
टिहरी गढवाल।

संलग्न-22 (18)

वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित हेतु प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–21 में निहित शर्त के अनुपालन में यदि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है, का अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

संलग्न-23 (20)

मलवा निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–22 में निहित शर्त के अनुपालन में परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र मे वृक्षों की कटाई नही की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।

संलग्न-24 (46)

अन्य अधिनियम/अनुच्छेड/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश लागू होने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या–23 में निहित शर्त के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उसके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा टिहरी गढवाल।